माननीय प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22.07.2003 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22.07.2003 को प्रातः 10.00 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ,मेरठ के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।

माननीय प्रबन्ध परिषद की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थी –

1	डा0 पी0पी0 सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2	श्री ओम प्रकाश शर्मा,	सदस्य
3	श्री श्रवण कुमार उपाध्याय ,विशेष सचिव,कृषि	सदस्य
4	श्री आर.पी.सिंह, विशेष सचिव,वित्त	सदस्य
5	श्री राजेन्द्र सिंह, कृषि निदेशक	सदस्य
6	ठा0 भगवान सिंह	सदस्य
7	श्रीमती शाहीन खॉ	सदस्य
8	श्री सुन्दर लाल वर्मा	सदस्य
9	डा0 जे0पी0 मिश्रा ,ए.डी.जी. (सी.एस.सी), आई.सी.ए.आर.	सदस्य
10	मौ0 यूसुफ कुरैशी	सदस्य
11	श्री विजारत अली	सदस्य
12	श्री ए.के. सिंह, निदेशक पशुपालन	सदस्य
13	श्री हेमन्त कुमार सक्सेना, वित्त नियंत्रक	सचिव

माननीय प्रबन्ध परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये माननीय कुलपति जी/अध्यक्ष ने प्रबन्ध परिषद के माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया ।

संकल्प –1 **माननीय प्रबन्ध परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 24.12.2002 के कार्यवृत्त की पुष्टि**

माननीय प्रबन्ध परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 24.12.2002 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी ।

संकल्प –2 **विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद दिनांक 24.12.2002 में पारित निर्णयों की अनुपालन आख्या**

माननीय प्रबन्ध परिषद की प्रथम बैठक दिनांक 24.12.2002 में पारित निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं बिन्दुवार निम्न निर्देश दिये गये–

(मद सं.2) **विश्वविद्यालय के गठन पर संक्षिप्त विवरण**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा यह पारित किया गया कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रस्तर – 4 की अनुसूची में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ,मेरठ में प्रसार, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यो के लिये आगरा मण्डल को विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत घोषित किया गया था, अतः उत्तर प्रदेश शासन के कृषि अनुभाग–8 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3730 (का) /12–8–2000–500 (20)/2000 दिनांक 8 दिसम्बर, 2000 के द्वारा आगरा मण्डल को चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत रखना प्रभावी नहीं माना जा सकता है क्योकि किसी भी अधिनियम को शासनादेश निष्प्रभावी (Overrule) नहीं कर सकता । माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा आगरा मण्डल को इस विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में बनाये रखने हेतु अनुश्रवण करने के लिये निर्देशित किया गया ।

(मद सं0–3) **विश्वविद्यालय की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यो की प्रगति का अवलोकन किया गया। ई.पी.आई. द्वारा कराये जा रहे कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता की माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा सराहना की गई । माननीय प्रबन्ध परिषद को कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश जल निगम निर्माण कार्यो में रूचि नहीं ले रहा है । शासनादेश सं0 108–वी.आई.पी./ 12 – 8–03–1500(89)/02 दिनांक 9 मई ,2003 द्वारा शासन ने उत्तर प्रदेश जल निगम को समय से कार्य प्रारम्भ न करने एवं कार्यो में रूचि न लेने के कारण विश्वविद्यालय के पी.एल.ए. में रखी रू0 357.60 लाख में से रू0 268.60 लाख की धनराशि ई.पी.आई. को देने हेतु आदेशित किया । उक्त

शासनादेश के अनुपालन में जल निगम को रू0 89.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, पेयजल, सीविरेज के निर्माण कार्यो हेतु आदेशित किया गया किन्तु जल निगम निर्माण कार्य में कोई रूचि नही ले रहा है । माननीय कुलपति जी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 1.7.2003 से जल निगम विश्वविद्यालय में कार्य नहीं कर रहा है । अनुमानतः जल निगम द्वारा रू0 89.00 लाख के अनुदान के विरूद्ध लगभग रू0 2.00 लाख के निर्माण कार्य कराया जाना प्रतीत होता है । समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त माननीय प्रबन्ध परिषद ने विवश होकर यह निर्णय लिया कि जल निगम को वैधानिक नोटिस दिया जाय कि वें निर्धारित अवधि तक निर्माण कार्य पूरा करे। यदि निर्धारित अवधि तक कार्य पूरा नही किया जाता है तो जल निगम से शेष धनराशि वापिस ले ली जाय एवं समस्त तथ्यों से शासन को अवगत करा दिया जाय ।

(मद सं0–10) **विश्वविद्यालय कार्यो एवं सम्पत्तियों के रख रखाव हेतु तकनीकी पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि अवर अभियन्ता (इलेक्ट्रानिक) 1पद, अवर अभियन्ता (सिविल)1पद तथा अवर अभियन्ता (विद्युत) 1 पद कुल 3 पदों के सृजन हेतु शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जाय।

(मद सं0–11) **कुलपति जी हेतु रू0 2.00 लाख का गुप्त फण्ड का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि रू0 50000.00 के गोपनीय फण्ड की स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जाय ।

(मद सं0–13) **विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/वैज्ञानिकों को अपने पद के अतिरिक्त कार्य दायित्व दिये जाने के सन्दर्भ में**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि कुल सचिव के पद को वेतनमान 16400–22400 में उच्चीकृत करने हेतु प्रकरण का अनुश्रवण किया जाय । माननीय प्रबन्ध परिषद ने यह मत भी व्यक्त किया कि इस

विश्वविद्यालय के कुल सचिव का स्तर अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुल सचिव के स्तर से निम्न नहीं होना चाहिए ।

(मद सं0–16) **पंतनगर विश्वविद्यालंय द्वारा हस्तान्तरित 55 रिक्त पदों के भरे जाने के सम्बन्ध में**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा स्वीकृत 24 पदों को भरने हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त करने के लिये अनुश्रवण किया जाय ।

(मद सं0–20) **डिस्टेन्ट एजुकेशन के माध्यम से पाठ्यक्रम चलाये जाने के सम्बन्ध में**

उक्त प्रकरण पर माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा विश्वविद्यालय एवं मैसर्स के.सी.सी साफ्टवेयर लि0 नई दिल्ली के मध्य हस्ताक्षरित एग्रीमेन्ट(एम0ओ0यू0) हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया । प्रबन्ध परिषद ने निदेर्शित किया कि डिस्टेन्ट एजुकेशन में ''स्टैण्डर्ड'' बनाये रखने के लिये ब्लू प्रिन्ट (कार्ययोजना) तैयार कर माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।

संकल्प–3 **नियुक्तियों के सम्बन्ध में**

(अ) **शासन द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्तियॉ**

पारित किया गया कि निम्नाकिंत नियुक्तियों को उनकेसम्मुख अंकित पदों, वेतनमान , प्रारम्भिक वेतन एवं प्रतिबन्धों सहित स्वीकृति प्रदान की गई ।

'' यह भी पारित किया गया कि जहॉ पर श्रेष्ठता सूची में एक से अधिक अभ्यार्थियों की संस्तुति की गई है, नियुक्ति पत्र प्रथम अभ्यर्थी को दिया जायेगा। कुलपति महोदय द्वारा घोषित अवधि के अन्दर योगदान न देने की दशा में कुलपति महोदय द्वारा श्रेष्ठता की सूची से क्रमशः दूसरे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है । श्रेष्ठता सूची (पैनल) की अवधि प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगी ।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	कैटगरी	साक्षत्कार का दिनांक	प्रबन्ध परिषद द्वारा पैनल स्वीकृति किया गया
1	कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रबन्धन प्राध्यापक –01 (16400–22400)	सामान्य	16.06.2003	1 डा0 ब्रिजेन्द्र सिंह पैनल में अन्य नाम स्वीकृत नहीं है।

	सह प्राध्यापक –01 (12000–18300)	अनुसूचित जाति	16.06.2003	योग्य उम्मीदवार न होने के कारण रिक्त
2	बेसिक साइन्स प्राध्यापक –01 (16400–22400)	सामान्य	18.06.2003	योग्य उम्मीदवार न होने के कारण रिक्त
	सह प्राध्यापक –01 (12000–18300)	अनुसूचित जाति	18.06.2003	योग्य उम्मीदवार न होने के कारण रिक्त
	सहायक प्राध्यापक –01 (8000–13500)	सामान्य	18.06.2003	1 कु0 अर्चना शर्मा 2 श्रीमती अर्चना भटनागर 3 कु0 नीलम कुमारी
3	कीट विज्ञान प्राध्यापक –01 (16400–22400)	सामान्य	21.06.2003	योग्य उम्मीदवार न होने के कारण रिक्त
	सहायक प्राध्यापक –01 (8000–13500)	सामान्य	21.06.2003	1 डा0 दिग्विजय सिंह 2 कु0 मालती 3 श्री प्रियव्रत्त आर्य
4	पशुपालन प्राध्यापक –01 (16400–22400)	अनुसूचित जाति	26.06.2003	योग्य उम्मीदवार न होने के कारण रिक्त
	सह प्राध्यापक –01 (12000–18300)	सामान्य	26.06.2003	1 डा0 नाजिम अली 2 डा0 राजवीर सिंह 3 डा0 नीरज
	सहायक प्राध्यापक –01 (8000–13500)	पिछडी जाति	26.06.2003	1 डा0 सत्यप्रकाश यादव 4 डा0 देवेन्द्र सिंह 5 डा0 रवीन्द्र कुमार
5	आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन प्राध्यापक –01 (16400–22400)	पिछडी जाति	03.07.2003	1 डा0 देवी सिंह 2 डा0 वाई.एस.तोमर
	सह प्राध्यापक –01 (12000–18300)	पिछडी जाति	03.07.2003	1 डा0 अनिल सिरोही 2 डा0 योगेन्द्र सिंह 3 डा0 सुखदेव सिंह

	उद्यान विभाग प्राध्यापक –01 (16400–22400)	सामान्य	04.07.2003	योग्य उम्मीदवार न होने के कारण रिक्त
	सह प्राध्यापक –01 (12000–18300)	सामान्य	04.07.2003	1 डा0 बिजेन्द्र सिंह 2 डा0 राम रोशन शर्मा 3 डा0 अनिल कुमार सिंह
	सहायक प्राध्यापक –01 (8000–13500)	पिछडी जाति	04.07.2003	1 डा0 मुकेश कुमार 2 डा0 बाल कृष्ण 3 डा0 अरविन्द कुमार
7	पादप रोग विज्ञान प्राध्यापक –01 (16400–22400)	अनुसूचित जाति	07.07.2003	योग्य उम्मीदवार न होने के कारण रिक्त
	सहायक प्राध्यापक –01 (8000–13500)	सामान्य	07.07.2003	1 डा0 प्रशान्त मिश्रा 2 डा0 अनिता सिंह 3 डा0 पेटिकम श्रीनिवास
8	मृदा विज्ञान विभाग प्राध्यापक –01 (16400–22400)	सामान्य	08.07.2003	योग्य उम्मीदवार न होने के कारण रिक्त
	सहायक प्राध्यापक –01 (8000–13500)	पिछड़ी जाति	08.07.2003	1 डा0 सुरेन्द्र सिंह 2 डा0 (श्रीमती) तुलसा रानी 3 डा0 योगेन्द्र पाल
9	बायोटेक्नोलॉजी विभाग प्राध्यापक –01 (16400–22400)	पिछडी जाति	04.07.2003	योग्य उम्मीदवार न होने के कारण रिक्त
	सह प्राध्यापक –01 (12000–18300)	सामान्य	04.07.2003	योग्य उम्मीदवार न होने के कारण रिक्त
	सहायक प्राध्यापक –01 (8000–13500)	अनुसूचित जाति	04.07.2003	1 श्री मुकेश कुमार 2 कु0 वैशाली
10	कृषि अभियन्त्रण एवं खाद्य टेक्नोलॉजी प्राध्यापक –01 (16400–22400)	पिछडी जाति	14.07.2003	1 श्री शमशेर पैनल में अन्य नाम स्वीकृत नहीं है।

	सह प्राध्यापक –01 (12000–18300)	सामान्य	14.07.2003	1 डा0 जगदीश प्रसाद सिंह 2 ई0 बी0आर0 सिंह 3 श्री अरूण कुमार
	सहायक प्राध्यापक –01 (8000–13500)	सामान्य	14.07.2003	1 श्री संजय कुमार सिंह 2 श्री रवि गुप्ता 3 श्रीमती विजया रानी 4 श्री संदीप यादव
11	कृषि संचार एवं ग्रामीण विकास विभाग प्राध्यापक –01 (16400–22400)	अनुसुचित जाति	16.07.2003	योग्य उम्मीदवार न होने के कारण रिक्त
	सहायक प्राध्यापक –01 (8000–13500)	अनुसुचित जाति	16.07.2003	1 श्री दान सिंह 2 श्री रवि प्रकाश

(ब) कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नतियॉ

प्रबन्ध परिषद द्वारा शासनादेश संख्या 290/12–8–2000–400(43)/99 ए दिनांक 7.2.2000 के क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के नोटिफीकेशन के अनुरूप गठित चयन समिति की संस्तुतियों के अनुसार निम्नांकित शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अंतर्गत पदनाम एवं वेतनमान अनुमन्यता की तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

क्र0 सं0	शिक्षका का नाम	विभाग	वर्तमान पदनाम	प्रोन्नत पदनाम	प्रोन्नत वेतनमान	अनुमन्यता की तिथि
1	डा0 सी0एस0 प्रसाद	कीट विज्ञान	कनिष्ठ शोध अधिकारी	वरिष्ठ शोध अधिकारी (कीट विज्ञान)	12000–18300	10.9.1998
2	डा0 एस0के0सचान	कीट विज्ञान	विषय विशेषज्ञ (फसल सुरक्षा)	–	12000–18300	27.7.1998
3	डा0 जर्नादन यादव	पशु विज्ञान	कनिष्ठ शोध अधिकारी (पशु पोषण)	वरिष्ठ शोध अधिकारी (पशु पोषण)	12000–18300	27.7.1998

4	डा0 एस0बी0सिंह	पादप प्रजनन	सहायक प्राध्यापक (पादप प्रजनन)	–	12000–18300	1.11.2001
5	डा0 आई0पी0 सिंह	उद्यान विभाग	विषय विशेषज्ञ (उद्यान)	सह निदेशक प्रसार (उद्यान)	12000–18300	27.7.1998
6	डा0 ए0एस0 चौधरी	उद्यान विभाग	विषय विशेषज्ञ (उद्यान)	सह निदेशक प्रसार (उद्यान)	12000–18300	27.7.1998
7	डा0 ए0वी0सिंह	पादप रोग विज्ञान	विषय विशेषज्ञ (पौध सुरक्षा)	–	12000–18300	20.11.2000
8	डा0 अशोक कुमार चौबे	मृदा विज्ञान	सहायक प्राध्यापक (मृदा)	–	12000–18300	21.11.2002
9	ई0बी0आर0 सिंह	कृषि अभियन्त्रण	विषय विशेषज्ञ (कृषि अभियन्त्रण)	सह निदेशक प्रसार (कृषि अभियन्त्रण)	12000–18300	12.4.1999
10	ई0एन0सी0 गुप्ता	कृषि अभियन्त्रण	विषय विशेषज्ञ (कृषि अभियन्त्रण)	–	12000–18300	27.7.1998
11	ई0बी0डी0 त्रिपाठी	कृषि अभियन्त्रण	विषय विशेषज्ञ (कृषि अभियन्त्रण)	–	12000–18300	27.7.1998
12	ई0जी0आर0 सिंह	कृषि अभियन्त्रण	विषय विशेषज्ञ (कृषि अभियन्त्रण)	–	12000–18300	1.2.2000

(स) पर्सनल प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नतियॉं

वैयक्तिक प्रोन्नति योजना के शासनादेश संख्या 840/12–8–400 (19)/ 84 दिनांक 10.9.84 में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार चयन समिति की संस्तुति के अधार पर प्रबन्ध परिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 22.7.2003 के संकल्पानुसार डा0 एच0एस0 वर्मा को विश्वविद्यालय नियमानुसार दिनांक 10.8.1996 से प्राध्यापक (पादप रोग) पदनाम देने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई ।

संकल्प –4 **अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षकों के चयन के लिये न्यूनतम अहर्ता का निर्धारण**

उक्त प्रस्ताव स्थगित करते हुये माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुसूचित जाति के शिक्षकों के रिक्त पदों को कम से कम दो बार और प्रकाशित कराया जाय ।

संकल्प–5 **कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना**

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में विशेष सचिव,कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त व्यय समिति द्वारा कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि0, नई दिल्ली से निर्माण कराने के लिये रू0 11.4149 करोड का आगणन स्वीकृत कर दिया गया है एवं विश्वविद्यालय के पी0एल0ए0 में जमा रू0 6.22 करोड़ में से यथा आवश्यक धनराशि के आहरण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी । माननीय प्रबन्ध परिषद ने विशेष सचिव,कृषि व शासन के अन्य अधिकारियों द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना में विशेष रूचि लेने व सहयोग देने के लिये उनको धन्यबाद दिया । माननीय प्रबन्ध परिषद ने तद्नुसार कालेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की । साथ ही शासनादेश संख्या 708/ 12– 8 – 2003–500 (41) /2001 टी0सी0 दिनांक 2 अप्रैल,2003 द्वारा उक्त भवन के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि0, नई दिल्ली को निर्माण एजेन्सी घोषित किये जाने का अनुमोदन प्रदान की ।

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा कालेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना के लिये निम्न पदों के सृजन हेतु स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि उक्त पद शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही भरे जायेगें।

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	अधिष्ठाता	17300–22400	1
2	प्राध्यापक	16400–22400	8
3	सह प्राध्यापक़	12000–18300	8
4	सहायक प्राध्यापक	8000–13500	8

5	तकनीशियन	4500—7000	8
6	स्टेनो	4000—6000	1
7	स्टोर कीपर	4000—6000	3
8	कार्यालय सहायक	4000—6000	3
9	परिचारक	2550—3250	3
10	स्वच्छक	2550—3250	3
	कुलयोग		**46**

शासन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में यह भी अंकित किया जाय कि बायोटेक्नोलाजी महाविद्यालय में प्रवेश किस सत्र से प्रारम्भ किया जायेगा एवं प्रथम वर्ष में छात्रों की सम्भावित संख्या क्या होगी ।

संकल्प—6 **कॉलेज ऑफ टेक्नालॉजी की स्थापना**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी । भवन निर्माण के लिये शासन को प्रेषित आगणन रू0 12.45 करोड हेतु स्वीकृति एवं अनुदान स्वीकृति के लिये शासन स्तर पर अनुश्रवण करने के लिये निदेर्शित किया गया । जहाँ तक कॉलेज हेतु पदों के सृजन का प्रश्न है, उक्त प्रकरण प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया ।

संकल्प—7 **कालेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की स्थापना**

माननीय प्रबन्ध परिषद द्वारा सर्व सम्मति से कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी । भवन निर्माण के लिये शासन को प्रेषित आगणन रू0 10.76 करोड हेतु स्वीकृति एवं अनुदान स्वीकृति के लिये शासन स्तर पर अनुश्रवण करने के लिये निर्देशित किया गया । जहाँ तक कॉलेज हेतु पदों की सृजन का प्रश्न है, उक्त प्रकरण प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया ।

संकल्प'–8 **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउन्डेशन की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय की भूमि लीज़ पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।**

उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विश्वविद्यालय की 41428 वर्ग मीटर भूमि को रू0 1.00 प्रतीक मूल्य पर प्रारम्भ में 10 वर्ष के लिये एपीडा को देने हेतु कार्यत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी । उक्त लीज प्रथमतः 30 वर्ष एवं पुनः 30 वर्ष के लिये नवीनीकृत की जा सकेगी ।

संकल्प–9 **पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा हस्तान्तरित 55 रिक्त पदों में से शेष 31 पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में**

उत्तर प्रद्रेश राज्य विभाजन के फलस्वरूप कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के अन्तर्गत मुख्यालय मेरठ एवं अन्य तीन शोध केन्द्रों पर उपलब्ध 55 रिक्त पदों में से निम्न पदों को भरे जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि उक्त पद शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही भरे जायेगें–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	लेखाकार	5000–8000	1
2	कम्पाउन्डर /फार्मसिस्ट	4500–7000	1
3	स्टेनों/संगणक चालक	4500–7000	1
4	सहायक लेखाकार	4500–7000	1
5	सहायक खण्ड अधीक्षक	4500–7000	1
6	लेखालिपिक	4000–6000	1
7	लिपिक	3050–4590	1
8	नलकूप चालक/पम्प चालक	3050–4590	2
9	ट्रैक्टर चालक/वाहन चालक	3050–4590	2
10	परिचारक	2550–3290	2
11	सुरक्षा चौकीदार/श्रमिक	2550–3290	2
12	पत्रवाहक	2550–3290	1
		योग	**16**

संकल्प –10 **कृषि महाविद्यालय के लिये 1:2:3 में शैक्षणिक पदों के सृजन हेतु**

कृषि महा विद्यालय के 12 विभागों के निम्न पदों के सृजन किये जाने हेतु सर्व सम्मति से स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि उक्त पद शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही भरे जायेगें–

क्र0 सं0	विभाग	प्राध्यापक 16400–22400	सह प्राध्यापक 12000–18300	सहायक प्राध्यापक 8000–13500	कुल पद
1	Agronomy	–	1	3	4
2	Genetics & Plant Breeding	–	1	3	4
3	Soil Science	–	2	2	4
4	Plant Pathology	–	2	2	4
5	Entomology	–	2	2	4
6	Agri-Communiction & Rural Develoment	–	2	2	4
7	Agri Eco & Management	–	1	2	3
8	Horticulture	–	1	2	3
9	Boi-Tech	–	1	2	3
10	Agri. Engg.& Food Tech.	–	1	2	3
11	Animal Science	–	1	2	3
12	Basic Science	–	1	2	3
	योग		16	26	42

संकल्प–11 **विश्वविद्यालय में नवीन पदों के सृजन हेतु**

विश्वविद्यालय के लिये निम्न पदों के सृजन किये जाने हेतु सर्व सम्मति से स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि उक्त पद शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही भरे जायेगें–

1 कुलपति कार्यालय (शिक्षणेत्तर पद)

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	संख्या
1	जन सम्पर्क अधिकारी	8000–13500	1
2	स्टेनो	4000–6000	1
3	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	1

4	डिस्पैचर	3050–4590	1
5	चपरासी/पत्रवाहक	2550–3200	2
6	ड्राईवर	3050–4590	1
		योग	**7**

2 वित्त नियन्त्रक कार्यालय (शिक्षणेत्तर पद)

क्र0सं0	**पद नाम**	**वेतनमान**	**संख्या**
1	लेखाधिकारी (पेंशन सेल, आडिट,बजट,संस्थापना आदि)	8000–13500	2
2	मुख्य लेखाकार	5500–9000	1
3	लेखाकार .	5000–8000	1
4	स्टेनो	4000–6000	1
5	सहायक लेखाकार	4000–6000	1
6	लिपिक/डिस्पैचर	3050–4590	1
7	चपरासी/पत्रवाहक	2550–3200	1
8	ड्राईवर	3050–4590	1
		योग	9

3 कुल सचिव कार्यालय (शिक्षण पद)

क्र0सं0	**पद नाम**	**वेतनमान**	**संख्या**
1	कुल सचिव	16400–22400	1
2	सहायक कुल सचिव	8000–13500	2
(शिक्षणेत्तर पद)			
1	कार्यालय अधीक्षक	5500–9000	1
2	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	2
3	लेखा लिपिक	3050–4590	1
4	रिकार्ड कीपर/डिस्पैचर	3050–4590	1
5	चपरासी/पत्रवाहक	2550–3200	1
		योग	9

4 मुख्य कार्मिक अधिकारी (शिक्षणेत्तर पद)

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	संख्या
1	संस्थापनाधिकारी	8000–13500	1
2	कार्यालय अधीक्षक	5500–9000	1
3	लेखाकार	5000–8000	1
4	स्टेनों	4000–6000	1
5	वरिष्ठ लिपिक	4500–7000	1
6	लिपिक/डिस्पैचर	3050–4590	1
7	पत्रवाहक /चपरासी	2550–3200	1
		योग	7

5 सुरक्षा (शिक्षणेत्तर पद)

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	संख्या
1	सहायक सुरक्षा अधिकारी	5000–8000	2
2	सुरक्षा गार्ड	2550–3200	10
		योग	12

6 केन्द्रीय भण्डार (शिक्षणेत्तर पद)

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	संख्या
1	भण्डारक	3050–4590	1
2	भण्डार परिचारक	2550–3200	1
		योग	2

7 पुस्तकालय

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	संख्या
1	सहायक– पुस्तकालयाध्यक्ष	8000–13500	1
2	पुस्तकालय सहायक	4000–6000	1
3	पुस्तकालय परिचर	2550–3200	1
		योग	3

8 हास्पिटल (शिक्षणेत्तर पद)

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	संख्या
1	चिकित्सा अधिकारी (पुरूष)	8000—13500	1
2	चिकित्सा अधिकारी(महिला)	8000—13500	1
3	कम्पाउन्डर /फार्मसिस्ट	4500—7000	2
4	वार्ड ब्याय	2550—3200	2
5	स्वच्छक	2550—3200	2
		योग	8

9 अधिष्ठाता छात्र कल्याण (शिक्षणेत्तर पद)

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	संख्या
1	स्टेनो	4000—6000	1
2	लेखाकार	5000—8000	1
3	सहायक लेखाकार	4000—6000	1
4	लिपिक /डिस्पैचर	3050—4590	1
5	पत्रवाहक /चपरासी	2550—3200	1
		योग	5

10 निदेशालय (शोध) (शिक्षण पद)

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	संख्या
1	संयुक्त निदेशक	16400—22400	1
2	सहायक निदेशक	8000—13500	1
(शिक्षणेत्तर पद)			
1	स्टेनों	4000—6000	1
2	लेखाकार	5000—8000	1
3	सहायक लेखाकार	4500—7000	1
4	स्टोर कीपर	4000—6000	1
5	पत्रवाहक /चपरासी	2550—3200	1

6	स्वच्छक	2550—3200	2
		योग	9

फसल अनुसंधान केन्द्र

क्र0सं0	**पद नाम**	**वेतनमान**	**संख्या**
1	सहायक निदेशक	8000—13500	1
(शिक्षणेत्तर पद)			
1	सहायक लेखाकार	4000—6000	1
2	लिपिक/डिस्पैचर	3050—4590	1
3	भण्डारक	4000—6000	1
4	पम्प आपरेटर	3050—4590	1
5	पत्रवाहक /चपरासी	2550—3200	1
6	ड्राईवर	3050—4590	1
		योग	7

उद्यान अनुसंधान केन्द्र

क्र0सं0	**पद नाम**	**वेतनमान**	**संख्या**
1	सहायक निदेशक	8000—13500	1
2	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सब्जी बीज उत्पादन)	8000—13500	1
(शिक्षणेत्तर पद)			
1	सहायक लेखाकार	4000—6000	1
2	लिपिक/डिस्पैचर	3050—4590	1
3	भण्डारक	4000—6000	1
4	सेल्स असिस्टेंट	3050—4590	1
5	पत्रवाहक /चपरासी	2550—3200	1
6	ड्राईवर	3050—4590	1
		योग	8

पशुधन अनुसंधान केन्द्र

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	संख्या
1	सहायक निदेशक	8000—13500	1
(शिक्षणेत्तर पद)			
1	सहायक लेखाकार	4000—6000	1
2	लिपिक/डिस्पैचर	3050—4590	1
3	भण्डारक	4000—6000	1
4	मिल्क मैन	2550—3200	2
5	पत्रवाहक /चपरासी	2550—3200	1
6	पशुपालक	2550—3200	2
		योग	9

11 निदेशालय (प्रंसार) (शिक्षण पद)

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	संख्या
1	संयुक्त निदेशक	16400—22400	1
2	सह निदेशक (प्रशिक्षण)	12000—18300	1
3	सहायक निदेशक	8000—13500	1
4	विषय विशेषज्ञ	8000—13500	7
(शिक्षणेत्तर पद)			
1	स्टेनों	4000—6000	1
2	लेखाकार	5000—8000	1
3	कैमरा मैन	4500—7000	1
4	सहायक लेखाकार	4500—7000	1
5	स्टोर कीपर	4000—6000	1
6	लिपिक /डिस्पैचर	3050—4590	1
7	श्रव्य—दृश्य साधन सहायक	3050—4590	1
8	इलेक्ट्रीशियन	3050—4590	1
9	पत्रवाहक /चपरासी	2550—3200	2

10	स्वच्छक	2550–3200	2
11	ड्राईवर	3050–4590	1
		योग	23

12 कृषि ज्ञान केन्द्र (शिक्षणेत्तर पद)

क्र0सं0	**पद नाम**	**वेतनमान**	**संख्या**
1	लिपिक	3050–4590	6
2	पत्रवाहक /चपरासी	2550–3200	6
		योग	12

13 कृषि महा विद्यालय (शिक्षणेत्तर पद)

1	स्टेनों	4000–6000	1
2	सहायक लेखाकार	4500–7000	2
3	लिपिक /डिस्पैचर	3050–4590	12
4	पत्रवाहक /चपरासी	2550–3200	12
5	इलेक्ट्रीशियन	3050–4590	1
6	प्लम्बर	2550–3200	1
7	स्वच्छक	2550–3200	4
		योग	33

14 स्नातकोत्तर महा विद्यालय

1	अधिष्ठाता	16400–22400	1
2	स्टेनों	4000–6000	1
3	सहायक लेखाकार	4500–7000	1
4	वरिष्ठ लिपिक	4000–6000	1
5	लिपिक /डिस्पैचर	3050–4590	1
6	पत्रवाहकं /चपरासी	2550–3200	1
		योग	**6**
		महायोग	**169**

संकल्प –12 **सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों को विश्वविद्यालय में पुर्ननियोजित करने के सम्बन्ध में ।**

उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि विश्वविद्यालय में शिक्षण के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कोई योग्य शिक्षक उपलब्ध न होने की दशा में सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा के आधार पर शिक्षण सत्र के लिये रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी । इस विषय में माननीय कुलपति जी को निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया ,प्रतिबन्ध यह होगा कि शिक्षक अधिकतम 2 वर्ष के लिये या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) रखे जायेगें ।

संकल्प –13 **कुलपति जी के विवेकाधीन रू0 10.00 लाख का विवेकाधीन कोष के प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में ।**

उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि कुलपति के विवेकाधीन रू0 10.00 लाख का विवेकाधीन कोष के प्राविधान के सम्बन्ध में अन्य कृषि विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त कर ली जाए एवं तद्नुसार ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय ।

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

संकल्प (अ–1) **डा0 हंसराज सिंह , सह प्रशिक्षक (शस्य) की प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में ।**

उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त पारित किया गया कि विश्व बैंक द्वारा पोषित उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के अन्तर्गत जिला परियोजना समन्वयक के पद पर डा0 हंसराज सिंह, सह प्रशिक्षक (शस्य) की प्रति नियुक्ति अवधि दिनांक 1.11.2000 से 31.10.2002 के उपरान्त तीन माह और बढ़ाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

संकल्प (अ–2)**ई0 नरेश चन्द्र गुप्ता ,विषय वस्तु विशेषज्ञ,कृषि अभियन्त्रण के अवकाश प्रकरण के सम्बन्ध में ।**

उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त ई0 नरेश चन्द्र गुप्ता, विषय वस्तु विशेषज्ञ ,कृषि अभियन्त्रण के प्रत्यावेदन दिनांक 25.2.2003 पर पारित किया गया कि उनके

अनधिकृत अवकाश दिनांक 8.12.2002 से 27.1.2003 तक 39 दिन की अवधि को बिना वेतन अवकाश में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प (अ–3) **डा0 लेख राज सिंह , वरिष्ठ शोध अधिकारी के सम्बन्ध में ।**

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आगामी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।

संकल्प (अ–4) **कॉलेज आफ होम साइन्स की स्थापना ।**

उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कॉलेज ऑफ होम साइन्स की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

संकल्प (अ–5) **कॉलेज आफ हॉर्टीकल्चर की स्थापना ।**

उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कॉलेज ऑफ हॉर्टीकल्चर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

संकल्प (अ–6) **कॉलेज ऑफ एग्रो फारेस्ट्री की स्थापना ।**

उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कॉलेज ऑफ एग्रो फारेस्ट्री की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव माननीय प्रबन्ध परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

अन्त में माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न की गई ।

23.7.03

(हेमन्त कुमार सक्सेना)
वित्त नियन्त्रक/सचिव

अनुमोदित

23/7/03

(पी0पी0सिंह)
अध्यक्ष ,प्रबन्ध परिषद